रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082023-248239
CG-DL-E-23082023-248239

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 585] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 22, 2023/श्रावण 31, 1945
No. 585] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 22, 2023/SHRAVANA 31, 1945

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2023

फा. सं. एसटीडी/एसपी-21/टी(अल्कोहल-4).—खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) संशोधन विनियम, 2022 का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप-धारा (1) के अधीन यथापेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या फा. सं. एसटीडी/एसपी-21/टी(अल्कोहल-4) तारीख 17 मई, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 20 मई, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों की बाबत पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत: अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (फ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) विनियम, 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) प्रथम संशोधन विनियम, 2023 है।

2. ये तारीख 01 मार्च 2024 से प्रवृत होंगे।

3. खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) विनियम, 2018 में -

(1) मॉल्ट या अनाज व्हिस्की से संबंधित भाग 2 के विनियम 2.8 के उप-विनियम 2.8.1 में खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् -

"(1) सिंगल माल्ट व्हिस्की किण्वित मैश से प्राप्त एक आसुत उत्पाद है जो बिना किसी अन्य अनाज को मिलाए ऐसे किण्वित जौ का प्रयोग करता है जिसे केवल पॉट स्टील में आसवित किया गया हो एवं उत्पादन के लिए एकल आसवन का प्रयोग किया गया हो।

(1 क) सिंगल अनाज व्हिस्की किण्वित मैश से प्राप्त एक ऐसा आसुत उत्पाद है जो मॉल्ट या मॉल्टरहित अनाज का प्रयोग करता हो एवं जिसका उत्पादन एकल आसवन के द्वारा किया गया हो। सिंगल मॉल्ट व्हिस्की में एकल मॉल्ट व्हिस्की, मिश्रित (पिसी हुई) मॉल्ट व्हिस्की या मिश्रित (पिसी हुई) अनाज व्हिस्की सम्मिलित नहीं होती है"।

(2) भाग 5 में विनियम 5.5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् -

"5.5 अल्कोहालिक पेय के लेबल पर किलो कैलोरी में उर्जा की मात्रा के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की पोषण संबंधी सूचना नहीं होगी। ऐसी उर्जा की मात्रा से संबंधित घोषणा स्वैच्छिक होगी" ।

जी. कमला वर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा./368/2023-24]

टिप्पण.- मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में अधिसूचना स. फा0 सं. 2/एसए-24/2009(1)/एफएसएसएआई, तारीख 19 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा पश्चातवर्ती संशोधित किए गए थे :

1. फा.सं. एसटीडीएस/एसपी (जल एवं पेय)/अधिसूचना(1)/एफएसएसएआई-2019, तारीख 18 दिसम्बर, 2020 तथा
2. फा. सं. एसटीडी/एसपी-21/टी(अल्कोहल-5), तारीख 10 जून, 2022।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2023

F. No. STD/SP-21/T(Alcohol-4).—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Amendment Regulations, 2022 were published as required by sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India number, F. No. Std/SP-21/T(Alcohol-4), dated the 17th May, 2022, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 20th May, 2022;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (2) of section 92 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018, namely: -

1. These regulations may be called the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) First Amendment Regulations, 2023.

2. They shall come into force on 01st March 2024.

3. In the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018, -

(1) In Part 2, in regulation 2.8, in sub-regulation 2.8.1 related to Malt or grain whisky, for clause (i) the following shall be substituted, namely, -

"(i) Single malt whisky is a distillate obtained from fermented mash that uses malted barley without adding any other grain, which is distilled in pot still only and produced in a single distillery.

(ia) Single grain whisky is a distillate obtained from a fermented mash that uses malted or unmalted grain, and produced in a single distillery. Single grain whisky shall not include single malt whisky and blended malt whisky or blended grain whisky".

(2) In Part 5, for the regulation 5.5 the following shall be substituted, namely, -

"5.5 Alcoholic beverage shall not contain any nutritional information on the label except energy content in kcal. Such declaration related to energy content shall be voluntary".

G. KAMALA VARDHANA RAO, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./368/2023-24]

Note. - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification number F. No. 2/SA-24/2009(1)/FSSAI, dated the 19th March, 2018 and subsequently amended *vide* notification numbers:

1. F. No. Stds/SP (water and Beverages)/Notification(1)/FSSAI-2019, dated the 18th December, 2020; and
2. F. No. Std/SP-21/T(Alcohol-5), dated the 10th June, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA